अनुदान संख्या 52 – चंडीगढ
GRANT No. 52 - CHANDIGARH

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) *(In thousands of rupees)*
राजस्वः	***Revenue:***				
प्रभारित–	*Charged-*		*37,56,00*	*27,36,27*	*-10,19,73*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*9,66,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4530,11,00			
			4530,20,00	4444,25,54	-85,94,46
पूरक	Supplementary	9,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				85,69,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*110,00,00*	*110,00,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	508,45,00			
			508,52,00	358,67,82	-149,84,18
पूरक	Supplementary	7,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				149,68,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	*O.*	*3436.00*	*2593.32*	*2549.60*	*-43.72*
पु.	*R.*	*-842.68*			

(I) ₹*10.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of ₹*10.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head

(II) मुख्य शीर्ष "2014'' – "उच्च न्यायालय – स्थापना" के अंतर्गत – ₹*775.10 लाख* की बचत (₹*3266.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने और न्यायालय बंद होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2014"- "High Courts-Establishment"- saving of ₹*775.10 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*3266.00 lakhs*) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and closure of Courts owing to COVID-19 pandemic

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice				
मू.	O.	42020.00	42659.06	42658.33	-0.73
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	638.06			
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	51653.00	52159.56	52155.41	-4.15
पु.	R.	506.56			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2058" स्टेशनरी और मुद्रण	Major Head "2058" Stationery and Printing				
मू.	O.	492.00			
			1846.53	1846.41	-0.12
पु.	R.	1354.53			
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	14845.00			
			15936.57	15932.99	-3.58
पु.	R.	1091.57			
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	58254.00			
			55879.61	55876.29	-3.32
पु.	R.	-2374.39			
मुख्य शीर्ष 2210'' चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	47961.00			
पू.	S.	1.00	48379.33	48376.67	-2.66
पु.	R.	417.33			
मुख्य शीर्ष "2017" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	60206.00			
पू.	S.	1.00	55590.68	55590.58	-0.10
पु.	R.	-4616.32			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2406" वन और वन्य जीवन	Major Head "2406" Forestry and Wild life				
मू.	O.	3611.00	3908.82	3908.50	-0.32
पु.	R.	297.82			
मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	Major Head-"2801" Power				
मू.	O.	87844.00	86023.45	86023.06	-0.39
पु.	R.	-1820.55			
मुख्य शीर्ष "3055" सडक परिवहन	Major Head "3055" Road Transport				
मू.	O.	25960.00	24096.17	24095.76	-0.41
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-1864.83			

(I) ₹7607.90 लाख का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹7500.00 लाख मुख्य शीर्ष "2217" — सामान्य–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्रधिकरणों, शहर सुधार बोर्डों आदि को सहायता — चंडीगढ़ स्मार्ट शहर" — भारत सरकार द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹7607.90 lakhs remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹7500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2217"- "General-Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. - Chandigarh Smart City" - due to cut imposed by Government of India.

(II) मुख्य शीर्ष "2014" — "सिविल और सत्र न्यायालय—स्थापना"— ₹1106.51 लाख की बचत (₹4348.05 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायिक अधिकारियों को वेतनमान प्रदान नहीं किए जाने और सरकारी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2014" - "Civil and Session Courts - Establishment" - saving of ₹1106.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4348.05 lakhs) was due to non-granting of pay scales to Judicial officials and less procurement of office material.

(III) मुख्य शीर्ष "2055"–"आपराधिक जांच और सतर्कता–अपराध जांच विभाग"– ₹766.27 लाख की बचत (₹ 2583.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिकारियों की सेवा निवृत्ति के कारण हुई ।

(III) Under Major Head "2055" - "Criminal Investigation and Vigilance - Criminal Investigation Department"- saving of ₹766.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2583.50 lakhs) was due to retirement of officials.

(IV) मुख्य शीर्ष "2059"–सामान्य – रखरखाव और मरम्मत –स्थापना"– ₹946.88 लाख की बचत (₹4074.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और कार्य प्रभारित श्रमिक स्टाफ की सेवा निवृत्ति के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2059"- "General - Maintenance and Repairs - Establishment"- saving of ₹946.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4074.00 lakhs) was due to non-filling of vacant posts and retirement of work charged labour staff.

(V) मुख्य शीर्ष "2202""विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – सरकारी कालेज और संस्थान– कला और विज्ञान कालेज"– ₹847.07 लाख की बचत (₹7880.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूजीसी वेतनमान में सहायक एसोसिएट प्रोफ़सरों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ नहीं दिए जाने और कालेज कोविड–19 महामारी के कारण बंद रहने के कारण मदों/वस्तुओं की कम खरीद होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2202"- "University and Higher Education - Government Colleges and Institutes - Arts and Science College"- saving of ₹847.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7880.50 lakhs) was due to non-extension of 7th Central Pay Commission benefits to the Assistant Associate Professors in UGC pay scales and purchase of less items/articles as colleges remained closed owing to COVID-19 pandemic.

(VI) मुख्य शीर्ष "2801" – "पारेषण और वितरण" –बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VI) Under Major Head "2801" - "Transmission and Distribution" - savings occurred under the following heads:-

(का) "चंडीगढ़ में विद्युत पारेषण और वितरण–विद्युत वितरण"– ₹21043.78 लाख की बचत (₹86844.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड लाकडाउन के कारण विद्युत की कम खरीद और विद्युत विभाग का निजीकरण होने के कारण कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लिए जाने के कारण हुई।

(A) "Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power"- saving of ₹1043.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹86844.00 lakhs) was due to less purchase of power owing to COVID-19 lockdown and voluntary retirement by employees due to privatization of electricity department.

(खा) "उचंत स्टाक"– ₹777.16 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ट्रांसफार्मरों और अंडरग्राउंड केबिलों की खरीद नहीं होने के कारण हुई।

(B) "Suspense- Stock"- saving of ₹777.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-procurement of transformers and underground cables.

(VII) मुख्य शीर्ष"3055"—"चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम — परिसंचालन"— ₹1458.46 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹21746.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरने और सेवानिवृत्ति होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3055"- "Chandigarh Transport Undertaking - Operation" - saving of ₹1458.46 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹21746.00 lakhs including token supplementary of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) was due to non-filling of vacant posts and retirement.

(VIII) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹2825.77 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत से 84 प्रतिशत थीं।

(VIII) Under eight heads savings of ₹2825.77 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 17 percent to 84 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹2999.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2277"—सामान्य —स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, शहर विकास बोर्डों आदि को सहायता —नगर निगम चंडीगढ़" के अंतर्गत मार्च, 2022 को ₹1.00 लाख का संकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था ।

3.(I) The above savings were partly (₹2999.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2022 under Major Head "2217" - "General- Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. - Municipal Corporation Chandigarh".

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईंः—

(II) Savings were also offset by excess under following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014"—"उच्च न्यायालय —स्थापना" — ₹1852.99 लाख का अधिक व्यय (₹36486.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंजाब के छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने और अपेक्षाकृत अधिक चिकित्सा दावे प्राप्त होने से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) Major Head "2014" - "High Courts - Establishment"- excess of ₹1852.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36486.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of Punjab 6th Pay Commission recommendations and receipt of more medical claims.

(खा) मुख्य शीर्ष "2055"—"जिला पुलिस — चंडीगढ़"— ₹1920.36 लाख का अधिक व्यय (₹40466.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते, वार्षिक वेतनवृद्धि, कांस्टेबलों की भरती, एसीपी प्रदान करने, वकीलों के लंबित बिलों को निबटाने और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) Major Head "2055"- "District Police - Chandigarh"- excess of ₹1920.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40466.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards DA, annual increment, recruitment of constables, grant of ACP, clearance of pending bills of advocates and increase in rate of diesel and petrol.

(गा) मुख्य शीर्ष "2058"—"सरकारी प्रेसें—सरकारी प्रेस, चंडीगढ़"— ₹1364.45 लाख का अधिक व्यय (₹436.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते, एलटीसी दावों और पंजाब के छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू किए जाने से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(C) Major Head "2058"- "Government Presses-Government Press, Chandigarh"- excess of ₹1364.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹436.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards DA, LTC claims and implementation of 6th Punjab Pay Commission recommendations.

(घा) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – रखरखाव और मरम्मत– भवनों का रखरखाव और मरम्मत"–₹2128.94 लाख का अधिक व्यय (₹5017.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनआरबी आवासीय भवनों के संपत्ति कर और भवनों और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(D) Major Head "2059" - "General - Maintenance and Repairs - Repairs and Maintenance of Buildings"- excess of ₹2128.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5017.40 lakhs) was due to requirement of additional funds towards property tax of NRB residential buildings, repair/maintenance of buildings and street lights.

(ङा) मुख्य शीर्ष "2210"–"शहरी स्वास्थ्य सेवायें – एलोपैथी – अस्पताल और औषधालय – सामान्य अस्पताल, चंडीगढ़"– ₹750.09 लाख का अधिक व्यय (₹9218.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए डाक्टरों को लेने, मजदूरी में संशोधन, कोविड 19 महामारी के कारण अपेक्षाकृत अधिक मेडिकल दावे प्राप्त होने और दवाओं/ जीवन रक्षक दवाओं की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(E) Major Head "2210" - "Urban Health Services –Allopathy - Hospital and Dispensaries- General Hospital, Chandigarh"- excess of ₹750.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9218.75 lakhs) was due to requirement of additional funds towards engagement of new doctors, revision of wages, receipt of more medical claims and procurement of medicines/ life saving drugs owing to COVID -19 pandemic.

(चा) मुख्य शीर्ष "2406" – "अवन्यीकरण और पारिस्थितिकी विकास – राज्य प्रतिकारी वन्यीकरण – राज्य प्राधिकरण"– ₹514.30 लाख का अधिक व्यय (₹0.06 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बागान कार्यों के लंबित बिलों को निबटाने और दरिया वन परिसर के बागान कार्य और रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(F) Major Head "2406" - "Afforestation and Ecology Development - State Compensatory Afforestation - State Authority"- excess of ₹514.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹0.06 lakh) was due to requirement of additional funds for clearance of pending bills of plantation work and maintenance of Daria Forest Complex.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹300.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹300.00 lakhs occurred constituting 30 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/ अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	8702.00			
पू.	S.	1.00	10387.61	10387.46	-0.15
पु.	R.	1684.61			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2491.00	540.88	540.87	-0.01
पु.	R.	-1950.12			
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	9338.00			
पू.	S.	1.00	3874.15	3859.06	-15.09
पु.	R.	-5464.85			
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	6725.00			
पू.	S.	1.00	4610.66	4610.47	-0.19
पु.	R.	-2115.34			
मुख्य शीर्ष "4216" आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2058.00	1126.91	1126.90	-0.01
पु.	R.	-931.09			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4217" शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	12849.00	10816.19	10816.17	-0.02
पु.	R.	-2032.81			
मुख्य शीर्ष "4801" विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	3055.00	1472.98	1472.97	-0.01
पु.	R.	-1582.02			
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	3138.00	689.20	688.56	-0.64
पु.	R.	-2448.80			

(I) ₹10.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4059"–"अन्य भवन–निर्माण–न्याय का प्रशासन"– ₹1953.85 लाख की बचत (₹2313.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च न्यायालय परिसर में अतिरिक्त ब्लाक और जिला न्यायालय परिसर में बहु मंजिली पार्किंग के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन नहीं मिलने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹10.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) Under Major Head "4059"- "Other Buildings-Construction - Administration of Justice"- saving of ₹1953.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2313.00 lakhs) was due to non- receipt of administrative approval for construction of additional block at High Court premises and multi-level parking at District Court Complex.

(III) मुख्य शीर्ष "4202"– बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा –भवन"– ₹1957.07 लाख की बचत (₹3039.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायालय में मामला होने के कारण कालेज परिसर में होस्टल के निर्माण के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और चंडीगढ़ में विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न शैक्षिक ब्लाकों/होस्टलों के निर्माण का प्रशासनिक अनुमोदन नहीं मिलने के कारण हुई।

(खा) "तकनीकी शिक्षा"–

(क) "पोलिटेक्निक्स–इंजीनियरिंग डिग्री स्कंध"– ₹1144.58 लाख की बचत (₹1345.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ कालेज आफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी में ब्लाक सी प्रशासनिक खंड के पूरा होने के निकट होने और सीसीईटी–26 में 11 केवी उप स्टेशन का वास्तु आरेखण प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) "इंजीनियरिंग/टेक्निकल कालेज और संस्थान– पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़"– ₹1128.56 लाख की बचत (₹1505.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुरुक्षेत्र में ब्वायेज होस्टल के विस्तार का मामला न्यायालय मे होने से उस के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और पंजाब इंजीनिरिंग कालेज सेक्टर 12 में विभिन्न होस्टलों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(गा) "खेल और युवा सेवायें – खेल स्टेडियम भवन"– ₹628.88 लाख की बचत (₹1033.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेक्टर 25 चंडीगढ़ में शूटिंग रेंज और ट्रैप और स्कीट रेंज के लिए प्राशसनिक अनुमोदन नहीं प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4202"- savings occurred under the following heads:-

(A) "General Education - University and Higher Education - Buildings"- saving of ₹1957.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3039.50 lakhs) was due to non-finalization of tender for construction of hostel in college campus owing to court case and non-receipt of administrative approval for construction of various educational blocks/hostels in different sectors of Chandigarh.

(B) "Technical Education"-

(a) "Polytechnics - Engineering Degree Wing"- saving of ₹1144.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1345.00 lakhs) was due to nearing completion of Administrative Block-C in Chandigarh College of Engineering and Technology and non-receipt of architect drawings of 11 KV Sub-station in CCET-26.

(b) "Engineering/Technical Colleges and Institutes - Punjab Engineering College, Chandigarh"- saving of ₹1128.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1505.00 lakhs) was due to non-finalization of tender owing to court case for extension of Krukshetra Boys Hostel and non-receipt of administrative approval of various hostels in Punjab Engineering College Sector 12.

(C) "Sports and Youth Services- Sports Stadia-Building"- saving of ₹628.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1033.00 lakhs) was due to non-receipt of administrative approval for Shooting Range and Trap and Skeet Range at Sector 25, Chandigarh.

(IV) मुख्य शीर्ष "4210"–"चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – सरकारी मेडिकल कालेज / 500 बिस्तरों वाला दूसरा जनरल अस्पताल सेक्टर 32 चंडीगढ़"– ₹1775.60 लाख की बचत (₹4856.52 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्पोर्ट्स इंजरी केंद्र के निर्माण के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, मशीनरी, वाहनों की खरीद और कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4210"- "Medical Education, Training and Research – Allopathy- Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital Sector 32, Chandigarh"- saving of ₹1775.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4856.52 lakhs) was due to non- finalization of tenders for construction of Sports Injury Centre, procurement of machinery, vehicles and slow progress in work owing to COVID- 19 pandemic.

(V) मुख्य शीर्ष "4216"–"सरकारी आवासीय भवन– सामान्य पूल आवास – सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास"– ₹928.09 लाख की बचत (₹2050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी घरों के नवीनीकरण के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "4216"- "Government Residential Buildings – General Pool Accommodation- Accommodation for Government Employees"- saving of ₹928.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2050.00 lakhs) was due to non-finalization of tender for renovation of Government houses.

(VI) मुख्य शीर्ष "4217"–"राज्य पूंजी विकास–निर्माण– अन्य योजनायें"– ₹2061.56 लाख की बचत (₹12524.96 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न सेक्टरों में सडक, रेल पारपथ और एलीवेटेड कारिडोरों के निर्माण के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "4217" - "State Capital Development– Construction- Other Schemes"- saving of ₹2061.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12524.96 lakhs) was due to non-finalization of proposal for construction of road, railway crossings and elevated corridors in various sectors.

(VII) मुख्य शीर्ष "4801"–"पारेषण और वितरण–चंडीगढ़ में विद्युत पारेषण और वितरण –विद्युत वितरण"– ₹1582.03 लाख की बचत (₹3055.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजनाओं को देरी से अंतिम रूप देने और भंडार में मुख्य सामग्रियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "4801"- "Transmission and Distribution– Transmission and Distribution of Power in Chandigarh- Distribution of Power"- saving of ₹1582.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3055.00 lakhs) was due to late finalization of schemes and non- availability of major material in store.

(VIII) मुख्य शीर्ष "5055"–"बेडे का अधिग्रहण–चंडीगढ परिवहन उपक्रम"– ₹2008.63 लाख की बचत (₹2025.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बसों की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(VIII) Under Major Head "5055"- "Acquisition of Fleet – Chandigarh Transport Undertaking"- saving of ₹2008.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2025.00 lakhs) was due to non-finalization of tender for purchase of buses.

(IX) ₹1541.38 लाख की बचत चार शीर्षों के अंतर्गत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक थी।

(IX) Under four heads savings of ₹1541.38 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 19 percent to 76 percent of the sanctioned provision.

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹1684.61 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष – "4055" – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2022 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था–

(का) "राज्य पुलिस – अन्य संबंद्ध कार्य"– ₹282.49 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹282.34 लाख था।

(खा) "पुलिस आवासन – भवन"– ₹1402.12 लाख।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹500.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 71 प्रतिशत था।

5.(I) The above savings were partly (₹1684.61 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2022 under Major Head "4055" – under the following heads:-

(A) "State Police – Other Allied Works" - ₹282.49 lakhs. Actual excess, however, was ₹282.34 lakhs.

(B) "Police Housing- Building" - ₹1402.12 lakhs

(II) Under one head excess of ₹500.00 lakhs occurred constituting 71 percent of the sanctioned provision.